अपील सूचना अधिकार संख्या 133/2021(GCMS 2021/219) (आरटीआई नं. 212478396903096) श्रीमती बृहस्पती देवी निवासी वार्ड नं. 11, नजदीक पुलिस स्टेशन, रावला मण्डी, तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 99839–20746) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बृहस्पती देवी स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2021 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी बृहस्पति देवी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान वर्ष 2020 में 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न उप जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर (एसडीएम) के कार्यालय आदेश से उपखण्ड वाईज कुल **कितने** बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) एवं सुपरवाईजर्स (पर्यवेक्षकगण) ने कोरोना–19 संबंधी विभिन्न ... डयूटी दी है।
2. उपखण्ड अधिकारी वाईज (sub division wise) सूचना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने ऑनलाईन पत्रांक 7036003802 दिनांक 05.01.2022 से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी(सहायता शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को हस्तांतरित किया है और प्रभारी अधिकारी (सहायता), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सहायता/2023/463–64 दिनांक 04.04.2023 की प्रति अपीलार्थी प्रेषित करते हुए अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र दिनांक 28.03.2023 के संदर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु समस्त उपखण्ड अधिकारियों को लिखा गया था। उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा प्रार्थिया को वांछित सूचना अपने पत्रांक 102 दिनांक 15.02..2022 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा पत्रांक 803 दिनांक 25.04.2022, उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा पत्रांक 4441 दिनांक 04.04.2023 एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 201 दिनांक 04.04.2023 द्वारा वांछित सूचना के संदर्भ में प्रार्थिया को अवगत कराया है कि वांछित सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की हैं। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 9 के तहत प्रश्नात्मक प्रकृति की सूचना देय नहीं है। अतः प्रार्थीया के आवेदन दिनांक 02.09.2021 को अस्वीकार किया गया हे।
>
> Signature Not Verified
>
> Digitally signed by Sourabh Swami
> Date: 2023.06.01 13:01:51 IST
> Reason: SelfAttested
>
> (डॉ. हरीतिमा)
> प्रभारी अधिकारी (सहायता)
> (अतिरिक्त जिला कलक्टर)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी (सहायता) एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सामान्य/2023/463–64 दिनांक 04.04.2023 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार प्रभारी अधिकारी (सहायता) एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी (सहायता) एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें तथा अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:51 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 12.04.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर